

Title: Regarding mismanagement of UTI funds.

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि सारे देश में चर्चा है कि एक औद्योगिक घराना सारी राज व्यवस्था पर काबिज हो गया है। चाहे वह हमारी व्यवस्थापिका हो या हमारी कार्य-पालिका हो, हर जगह पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके बारे में एक बार नव वी जी ने चर्चा उठाई और एक बार प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाई, लेकिन उस चर्चा के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कई दिनों तक अखबारों में खबरें छपती रहीं कि उस घराने ने 390 रुपए पर जो शेयर भारत सरकार को बेचा था, उस शेयर का 60 रुपए पर खरीदा। इस प्रकार 1070 करोड़ रुपया यूटीआई से उनको दिया गया है। उस पैसे को उन्होंने जाली कम्पनियों के नाम बेच दिया है। जो आडिटर-जनरल की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि उनको जो इनकम टैक्स देना था, उसका भी सही हिसाब नहीं दिया गया है।

इस तरह की एक नहीं, अनेक बातें आती हैं। प्रधान मंत्री जी के हवाले से यह बात कही गई कि इन्होंने यूटीआई और उस घराने के बारे में सीबीआई की इन्क्वायरी का आदेश दिया है। मैं नहीं जानता कि उसमें सच्चाई क्या है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि अगर यह आदेश दिया हो तो देश में जो भ्रम फैल रहा है कि वह घराना किसी भी बात को कर सकता है और सरकार उसे नजरअंदाज कर सकती है, ऐसा न करके, अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रधान मंत्री जी उस बात को सदन और देश के सामने रखें। अगर नहीं उठाया है तो मैं उनसे आपके जरिए निवेदन करूँगा कि इन सवालों की जांच होनी चाहिए। मैंने उन्हें आज से एक-डेढ़ महीने पहले पत्र लिखा था। अभी हमारे पास उस पत्र की प्राप्ति की सूचना नहीं आई है। मैं कोई विवाद विवेचन में नहीं जाना चाहता, लेकिन चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और देश में भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सारी संसद इस मामले में चुप की जा सकती है, सारी कार्यपालिका निष्क्रिय की जा सकती है, सरकार की सारी मशीनरी इसके अंदर ध्वस्त हो सकती है।

महोदय, आज यूटीआई का मामला है, कल आईडीबीआई का और परसों आईसीआईसीआई का हो सकता है। आज ये सारी वित्तीय संस्थाएँ संदेह के घेरे में पड़ी हुई हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति के या घराने के कहने पर कैसे वित्त विभाग का एक बड़ा अधिकारी तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें सूचना तक नहीं होती और यह काम हो जाता है। जिसे चाहे जहां नियुक्त करा दें, स्थानांतरित करा दें - यह भ्रम सारे देश में फैला हुआ है। मैं इस सवाल को नहीं उठाता, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ मुझ से लोग कहते हैं कि संसद इस सवाल पर मौन क्यों है। अगर नकवी साहब और मुंशी जी ने सवाल उठाया तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। हम से लोग कहते हैं कि आप चुप क्यों हैं। इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ। अगर यह प्रभाव लोगों के मन पर पड़ेगा कि यह घराना मनमानी कर सकता है और सरकार निष्क्रिय बनी रहेगी, यह संसद मौन रहेगी तो इससे अशुभ लक्षण और कोई नहीं होगा।

महोदय, किसी को धमकी, चेतावनी देने के लिए नहीं, अगर सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाएगी तो मुझे मजबूर होकर उस घराने की कुकृतियों का एक दस्तावेज़ बना कर सारे देश में वितरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी बुरा मत मानिएगा। मैं यह बात किसी पार्टी या व्यक्ति के हिसाब से नहीं, वित्त मंत्री जी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वह बेचारे मजबूर हैं। वह हमारे मित्र हैं। उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, जो अनायास ही सारे आरोप अपने ऊपर लेने को मजबूर हो रहे हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह मजबूरी उनकी उनके लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग उस घराने का विरोध नहीं कर सकते, वे वित्त मंत्री जी या सरकार के किसी एक व्यक्ति का विरोध करते हैं। यह संसदीय परम्परा के लिए स्वस्थ चिन्ह नहीं है। केवल इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विया चन्द्रशेखर जी ने सदन के समक्ष रखा है, मैं उस पर सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मुंबई के बड़े औद्योगिक घराने की बात की है। इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं समझता हूँ और सारा सदन समझ रहा है कि किस औद्योगिक घराने और परिवार की तरफ इनका इशारा था।

SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): We do not understand this. He may please clarify the position.

SHRI YASHWANT SINHA: How can I clarify what he has said? महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बड़े घराने के साथ जो यूटीआई का सौदा 1994 में हुआ था, उसके बारे में सीबीआई की जांच हुई थी। उसने जांच करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय से आग्रह किया था कि उस पर एक केस रजिस्टर करने की उन्हें अनुमति दी जाए। यह उस जमाने की बात है जब सीबीआई को इस बात की अनुमति सरकार से लेनी होती थी। दिसम्बर, 1996 में वित्त मंत्रालय ने सीबीआई को जवाब भेजा।

उनके अनुसार इसमें केस रजिस्टर करने के लिये कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसलिये यह इज़ाजत सी.बी.आई. को नहीं दी गई थी। अभी हाल ही की बात है कि इस देश के एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गुरुस्वामी ने मुझे एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने ऐसी कई प्रकार की बातें कहीं जिनका जिक्र श्री चन्द्र शेखर जी ने आज इस सदन के सामने किया कि यू.टी.आई. को लेकर इस डील में घाटा हुआ है। चूंकि यह बात अखबारों में छपी तो उस औद्योगिक घराने की तरफ से मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने उन बातों को चुनौती दी है कि जो आंकड़ें दिये गये हैं, वे सही नहीं हैं। इन सब बातों को देखते और समझते हुये जैसे ही सदन के संज्ञान में यह बात आई, मैंने यू.टी.आई. के बारे में पिछले दस सालों के दौरान जितने सौदे हुये हैं, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक तीन सदस्य समिति बनाई। इस समिति में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री तारापोर, बैंक के रिटायर्ड चेयरमैन श्री भिड़े और सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक श्री राघवन सदस्य हैं। इन लोगों को तीन महीने का समय दिया गया है। वे उन सब बातों की जांच कर रहे हैं जिन्हें हमारी सरकार के ध्यान में लाया गया है कि यू.टी.आई. के किस सौदे में पिछले दस सालों में खामियां किस प्रकार की रही हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार को जो कार्यवाही करनी होगी, वह करेगी।

उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि यह सरकार किसी भी प्रकार से किसी औद्योगिक घराने के दबाव में नहीं है और न किसी और के दबाव में काम कर रही है। जो सच्चाई है, यह सरकार उसे निश्चित रूप से इस देश की जनता और इस सदन के सामने रखेगी।

(Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अमरीका यह काम कर रहा है . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¹**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, please do not interrupt now. This is the limit.

*(Interruptions) â€¹**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister wants to respond. Do you not want to hear him?

*(Interruptions) â€¹**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your notice for Adjournment Motion has been disallowed by the hon. Speaker. Now do you not want the Minister to respond?

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs. Please resume your seats.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He had raised the matter in the morning and the Question Hour did not take place. He is again raising the same issue.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me complete. You do not even want the Presiding Officer to speak. I would like to know whether you want to hear the response from the Minister or not. I am allowing him now.